प्रेषक,

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
सोनभद्र।

सेवा में,

डीन/प्राचार्य/प्रधानाचार्य/छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी
समस्त शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन महाविद्यालय,
लॉ, बी0एड0,डी0एल0एड0, नर्सिंग, आई0टी0आई0, पालिटेक्निक एवं अन्य
समस्त दशमोत्तर शिक्षण संस्थान
जनपद– सोनभद्र।

पत्रांक 782/पि0व0क0/छात्रवृत्ति/ 2026–27/ दिनांक – 01 सितम्बर 2026

विषय– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में शिक्षण संस्थाओं से आवेदन अग्रसारित न होने, पी0एफ0एम0एस0 से रिजेक्ट होने एवं कतिपय अन्य कारणों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु पोर्टल खोले जाने एवं समय–सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 989 दिनांक 31 अगस्त 2026 के द्वारा सामाज कल्याण अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 107/2026/2325/26–3–2026–1961934 दिनांक 29 अगस्त 2026 के क्रम में अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में शिक्षण संस्थाओं से आवेदन अग्रसारित न होने, पी0एफ0एम0एस0 से रिजेक्ट होने एवं कतिपय अन्य कारणों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु पोर्टल खोले जाने एवं निम्न विवरणानुसार समय–सारिणी निर्गत की गयी है :–

क0सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
1	शिक्षण संस्थान द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना।	01 सितम्बर 2026 से 07 सितम्बर 2026 तक।
2	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन ।	02 सितम्बर 2026 से 08 सितम्बर 2026 तक।
3	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा रिजल्ट अद्यतन करना।	03 सितम्बर 2026 से 10 सितम्बर 2026 तक।
4	त्रुटिपूर्ण आवेदन को शिक्षण संस्थान के स्तर से सही करना।	16 सितम्बर 2026 से 18 सितम्बर 2026 तक।
4	शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित एवं पात्र डाटा अग्रसारित करना।	17 सितम्बर 2026 से 19 सितम्बर 2026 तक।

उपरोक्तानुसार निर्गत समय–सारिणी के अनुसार सुसंगत शासनादेशों/छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार समयान्तर्गत कार्यवाही कराते हुए अपने स्तर से भी प्रचार–प्रसार कराने

का कष्ट करें, जिससे उक्त वर्ष के निर्गत प्राविधान के अनुसार कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना से वंचित न रहे।

संलग्नक– निर्गत समय–सारिणी के छायाप्रति

01/09/2026

(नरेन्द्र कुमार पाण्डेय)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
सोनभद्र।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

1–निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
2–जिलाधिकारी, सोनभद्र।
3–मुख्य विकास अधिकारी, सोनभद्र।
4–उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
5–सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी।
6–जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सोनभद्र।
7–छात्रवृत्ति नोडल, प्राचार्य, राजकीय पी0जी0 कालेज, ओबरा, सोनभद्र को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु निर्गत समय–सारिणी के प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
सोनभद्र।